MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN THE

MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY OF THE REPUBLIC OF INDIA

AND

THE MINISTRY OF ECONOMY OF THE PORTUGUESE REPUBLIC

ON

RENEWABLE ENERGY

The Ministry of New and Renewable Energy of the Republic of India and the Ministry of Economy of the Portuguese Republic hereinafter referred to as "the Signatories";

CONSIDERING the Agreement between the Portuguese Republic and the Republic of India on Economic and Industrial Cooperation, signed in Lisbon on March 31, 2000;

DESIRING to further develop the friendly relations and strengthen the bilateral co-operation between the countries and to serve the bilateral interests of the countries in the field of renewable energy based on the principle of equality and mutual benefits;

NOTING the significant potential offered by the implementation of joint initiatives and projects in the stated domain.

HAVE decided to sign a Memorandum of Understanding on Renewable Energy, hereinafter referred to as **"MoU"**

CLAUSE 1

Scope

The MoU aims to promote the establishment of the basis for a cooperative institutional relationship and to encourage programmes and activities between the Signatories in the field of renewable energy.

CLAUSE 2

Forms of Co-operation

1. The co-operation under this MoU, within the Signatories scope of powers and duties, as well as in accordance with national laws and pertaining treaties to which the Signatories' States are Parties to, may include the following:

1.1. Promotion of information and contacts between institutions, namely in development of projects and innovative technologies in the field of renewable energies;

1.2. Promotion of the development of exchange and experts training programmes in the area of renewable energy and technical visits of both countries experts;

1.3. Organization of activities, such as, workshops, joint seminars, conferences and business forums in the energy domain;

1.4. Other forms of cooperation mutually agreed upon by the parties, falling within the scope of this MoU.

CLAUSE 3

Working Group

1. In order to co-ordinate the above mentioned activities and decide upon project proposals related to renewable energy domain. The Signatories will establish a "Working Group", composed of one representative appointed by each Signatory.

2. The Signatories designate as their representatives in the Working Group:

2.1. For the India Signatory: The Joint Secretary, International Relations, Ministry of New and Renewable Energy, Government of India; and

2.2. For the Portuguese Signatory: DGEG – Directorate General for Energy and Geology on behalf of the Ministry of Economy, Government of Portugal.

3. The Working Group may designate other members, including representatives from research centres, universities or other organisations when necessary.

CLAUSE 4

Responsibilities of the Working Group

1. The Working Group will be responsible for:

1.1. Identifying areas of mutual interest and co-operation for development of renewable energy;

1.2. Monitoring and evaluating co-operation activities; and

1.3. Any other activity as may be agreed upon in writing by the Signatories.

2. The Working Group will make efforts to develop an Action Plan and convene the first Working Group meeting, at their earliest convenience.

3. The Working Group will, to the extent possible, conduct the work through electronic communication, but meet annually alternatively in India and Portugal or whenever considered necessary.

CLAUSE 5

Confidentiality of Information

1. The Signatories will freely use any information exchanged in conformity with the provisions of this MoU except in the cases where the Signatories or authorized persons providing such information have previously made known the restrictions and reservations concerning its use and dissemination.

2. The Signatories will endeavour to adopt all appropriate measures in accordance with their respective national laws and regulations to respect the restrictions and reservation and to protect intellectual property rights including commercial and industrial secrets transferred between authorized persons within the jurisdiction of the State of either Signatory.

CLAUSE 6

Financing

The implementation of the above foreseen activities may depend upon availability of required funds from each Signatory's budget, and the expenses will be supported by the incurring Signatory, except if otherwise agreed.

CLAUSE 7

Changes

This MoU may be changed at any time by mutual written agreement of the Signatories.

CLAUSE 8

Interpretation

Any differences arising out the interpretation or application of this MoU will be settled amicably through consultation or negotiations and mutual consent between the Signatories.

CLAUSE 9

Entry into Effect

1. This MoU shall come into effect on the date of its signatures by the authorised representatives of the Signatories.

2. This MoU will remain valid for a period of five (5) years and be automatically renewed for a consecutive period of another five (5) years.

3. This MoU shall cease to have effect three (3) months after either Signatory makes intention of terminating the MoU known to the other Signatory in writing through diplomatic channels. In such case, activities in course will be pursued according to their planning, unless otherwise agreed by the Signatory.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned being duly authorized thereto by the respective Governments, have signed this **MoU**.

Signed in New Delhi on 6th January of 2017, in two originals, in Hindi, Portuguese and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text will prevail

FOR AND BEHALF OF THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY OF THE REPUBLIC OF INDIA	FOR AND BEHALF OF THE MINISTRY OF ECONOMY OF THE PORTUGUESE REPUBLIC
(Mr. Rajeev Kapoor)	**(Mr. Joao da Camara)**
Secretary, MNRE	**Portuguese Ambassador**

भारत गणराज्य के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

तथा

पुर्तगाल गणराज्य के आर्थिक मामलों के मंत्रालय

के बीच

अक्षय ऊर्जा पर समझौता ज्ञापन

भारत गणराज्य का नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा पुर्तगाल गणराज्य के आर्थिक मामलों का मंत्रालय, जिन्हें इसके पश्चात् "हस्ताक्षरकर्ता कहा गया है;"

पुर्तगाल गणराज्य और भारत गणराज्य के बीच दिनांक 31 मार्च, 2000 को लिस्बन में हस्ताक्षरित आर्थिक एवं औद्योगिक सहयोग करार पर विचार करते हुए;

दोनों देशों के बीच मैत्रिक संबंधों को और विकसित करने तथा द्विपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ बनाने और समानता एवं परस्पर हितों के सिद्धांत के आधार पर अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में दोनों देशों के द्विपक्षीय हितों की पूर्ति करने की इच्छा से;

उल्लिखित क्षेत्र में संयुक्त पहलों और परियोजनाओं के कार्यान्वयन से प्राप्त होने वाली महत्वपूर्ण क्षमता को ध्यान में रखते हुए

अक्षय ऊर्जा पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया है जिसे इसके पश्चात् "एमओयू" कहा जाएगा।

अनुच्छेद-1

दायरा

इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य एक सहयोगात्मक संस्थागत संबंध के लिए आधार तैयार किए जाने को बढ़ावा देना और हस्ताक्षरकर्ताओं के बीच अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में कार्यक्रमों एवं कार्यकलापों को प्रोत्साहित करना है।

अनुच्छेद-2

सहयोग के तरीके

1. इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत हस्ताक्षरकर्ताओं के अधिकारों एवं कर्तव्यों के दायरे के अंतर्गत तथा राष्ट्रीय कानूनों और संबंधित संधियों, पक्षकार जिसके हस्ताक्षरकर्ता हैं, के अनुसार सहयोग कार्य किए जाएंगे जिसमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:

1.1 संस्थानों के बीच अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में परियोजनाओं के विकास और अभिनव प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में जानकारी और संपर्कों को बढ़ावा देना;

1.2 अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में विशेषज्ञों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा दोनों देशों के विशेषज्ञों के तकनीकी दौरों का आदान-प्रदान और विकास;

1.3 ऊर्जा क्षेत्र में कार्यशालाओं, संयुक्त संगोष्ठियों, सम्मेलनों और व्यापार मंच जैसे कार्यकलापों का आयोजन;

1.4 पक्षों की परस्पर सहमति से सहयोग के अन्य तरीके जो इस समझौता ज्ञापन के दायरे में आते हैं।

अनुच्छेद-3

कार्यदल

1. उपरोक्त कार्यकलापों का समन्वय करने तथा अक्षय ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित परियोजना प्रस्तावों पर निर्णय लेने के उद्देश्य से हस्ताक्षरकर्त्ताओं द्वारा एक "कार्यदल" की स्थापना की जाएगी जिसमें प्रत्येक हस्ताक्षरकर्त्ता द्वारा एक-एक प्रतिनिधि की नियुक्ति की जाएगी।

2. हस्ताक्षरकर्त्ताओं द्वारा कार्यदल में निम्नलिखित को अपना प्रतिनिधि मनोनीत किया जाता है:

2.1 भारतीय हस्ताक्षरकर्त्ता की ओर से: संयुक्त सचिव, अन्तर्राष्ट्रीय संबंध, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार; और

2.2 पुर्तगाली हस्ताक्षरकर्त्ता की ओर से: आर्थिक मामलों के मंत्रालय, पुर्तगाल सरकार की ओर से डीजीईजी- ऊर्जा एवं भूगर्भ विज्ञान महानिदेशालय।

3. कार्यदल द्वारा जब आवश्यक हो अनुसंधान केन्द्रों, विश्वविद्यालयों अथवा अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों सहित अन्य सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है।

अनुच्छेद-4

कार्यदल के दायित्व

1. कार्यदल निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होगा:

1.1 अक्षय ऊर्जा के विकास हेतु परस्पर हित और सहयोग के क्षेत्रों की पहचान करना;

1.2 सहयोग कार्यकलापों की निगरानी और मूल्यांकन करना; और

1.3 हस्ताक्षरकर्त्ताओं द्वारा लिखित रूप में हुई सहमति के अनुसार कोई अन्य कार्यकलाप।

2. कार्यदल द्वारा एक कार्य-योजना तैयार करने हेतु प्रयास किए जाएंगे और अपनी सुविधा के अनुसार कार्यदल की पहली बैठक यथाशीघ्र आयोजित की जाएगी।

3. कार्यदल द्वारा जहां तक संभव हो सके, कार्यों का संचालन इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से किया जाएगा किन्तु उनकी बैठक बारी-बारी से भारत और पुर्तगाल में वार्षिक रूप से अथवा जब कभी आवश्यक समझा जाए, आयोजित की जाएगी।

अनुच्छेद-5

जानकारी की गोपनीयता

1. हस्ताक्षरकर्त्ताओं द्वारा उन मामलों जिनमें हस्ताक्षरकर्त्ताओं अथवा इस प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु प्राधिकृत व्यक्तियों ने जानकारी के उपयोग और प्रसार से संबंधित प्रतिबंधों एवं शर्त्तों को ज्ञात करा दिया हो, को छोड़कर इस समझौता ज्ञापन के अनुसार आदान-प्रदान की गई किसी जानकारी का उपयोग स्वतंत्र रूप से किया जाएगा।

2. हस्ताक्षरकर्त्ताओं द्वारा अपने संबंधित राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों के अनुसार प्रतिबंधों और शर्त्तों का सम्मान करने तथा प्रत्येक हस्ताक्षरकर्त्ता के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत प्राधिकृत व्यक्तियों के बीच अंतरित वाणिज्यिक एवं औद्योगिक गोपनीय जानकारी सहित बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण करने हेतु सभी समुचित उपायों को अपनाने का प्रयास किया जाएगा।

अनुच्छेद-6

वित्तपोषण

उपरोक्त संभावित कार्यकलापों का कार्यान्वयन प्रत्येक हस्ताक्षरकर्त्ता के बजट से आवश्यक निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा और होने वाले व्यय का वहन अन्य किसी रूप में हुई सहमति को छोड़कर व्यय करने वाले हस्ताक्षरकर्त्ता द्वारा किया जाएगा।

अनुच्छेद-7

परिवर्तन

इस समझौता ज्ञापन को हस्ताक्षरकर्त्ताओं की पारस्परिक लिखित सहमति से किसी भी समय परिवर्तित किया जा सकता है।

अनुच्छेद-8

व्याख्या

इस समझौता ज्ञापन की व्याख्या अथवा इसे लागू किए जाने से उत्पन्न होने वाले विवादों का निपटान हस्ताक्षरकर्त्ताओं के बीच विचार-विमर्श अथवा परामर्श एवं पारस्परिक सहमति से सौहार्दपूर्ण तरीके से किया जाएगा।

अनुच्छेद-9

लागू होना

1. यह समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरकर्त्ताओं के प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख से लागू होगा।

2. यह समझौता ज्ञापन पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए मान्य रहेगा और अगले पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए स्वतः नवीकृत हो जाएगा।

3. यह समझौता ज्ञापन किसी एक हस्ताक्षरकर्त्ता द्वारा इसे समाप्त किए जाने के अपने आशय की लिखित सूचना दूसरे हस्ताक्षरकर्त्ता को राजनयिक चैनलों के माध्यम से दिए जाने के तीन (3) माह के बाद अमान्य हो जाएगा। ऐसी स्थिति में जारी कार्यकलापों को पक्षों द्वारा, जब तक अन्य किसी रूप में सहमति न व्यक्त की गई हो, इनकी आयोजना के अनुसार कार्यान्वित किया जाएगा।

जिसके साक्ष्य स्वरूप अधोहस्ताक्षरकर्त्ताओं, जिन्हें संबंधित सरकारों द्वारा विधिवत प्राधिकृत किया गया है, ने इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

दिल्ली (.....) में वर्ष 2018 के 6 जनवरी (.....) दिन हिन्दी, पुर्तगाली और अंग्रेजी भाषाओं में दो मूल प्रतियों में हस्ताक्षर किए गए। सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। व्याख्या में किसी प्रकार की भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

भारत गणराज्य के
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
के लिए और की ओर से

(राजीव कपूर)
सचिव

पुर्तगाल गणराज्य के
आर्थिक मामलों के मंत्रालय
के लिए और की ओर से

João de Camara

(जोआओ दा कमारा)
राजदूत